न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120011492022

परिवाद संख्या–31/2022

श्रीमती तान्या बनाम अशोक कुमार गुप्ता आदि।

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–07.06.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी का संक्षेप में कथन है कि अभियुक्त संख्या 1 अशोक कुमार गुप्ता उपरोक्त फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, जनपद औरैया के स्वामी/मालिक है। अभियुक्त संख्या 2 उमेश कुमार गुप्ता उपरोक्त तत्कालीन संचालक फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा जनपद औरैया बजरिये पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांकित 15.04.2014 अशोक कुमार गुप्ता उपरोक्त। अभियुक्त संख्या 3 श्रीमती साधना गुप्ता उपरोक्त जो कि वर्तमान में फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा जनपद औरैया के दिन प्रतिदिन के संचालन के प्रति उत्तरदायी है। फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, जनपद औरैया के अशोक कुमार गुप्ता वैधानिक स्वामी/मालिक है। अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता एवं आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता एक लम्बे समय से मेली व व्यवहारी थे और इसी फलस्वरुप हम लोगों का परिजन सहित एक दूसरे के घर पर आना–जाना था, जिससे हम लोगों के मध्य सम्बन्धों में मधुरता एवं विश्वसनीयता स्थापित हुई थी। अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता के स्वामित्वाधीन फर्म उपरोक्त की देखरेख राजीव कुमार गुप्ता जो कि अशोक कुमार गुप्ता के रिश्ते में सगे मामा है, करते थे, क्योंकि उक्त फर्म जिस भूमि पर स्थित है, उसकी स्वामिनी राजीव कुमार गुप्ता की पत्नी श्रीमती ज्योति गुप्ता है। अशोक कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता व श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त फर्म मय भूमि के 85,00,000/–रुपये में कय करने की इच्छा व्यक्त की गयी तथा आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता को इन लोगों द्वारा यह आश्वासित किया गया कि जैसे ही इन लोगों को यह सम्पूर्ण धनराशि अदा कर दी जायेगी, वैसे ही वह अशोक कुमार गुप्ता, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अनुज्ञप्ति आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता के पक्ष में रीकांस्टीट्यूट किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र दे देंगे तथा श्रीमती ज्योति गुप्ता ने इसी परिप्रेक्ष्य में उक्त फर्म की स्थित भूमि का बैनामा आवेदिका के पिता के पक्ष में किये जाने की सहमति व्यक्त की थी। आवेदिका के पिता ने इन लोगों द्वारा दिये गये उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जिसके फलस्वरुप आवेदिका ने अपने पिता उमेश कुमार गुप्ता के कहे अनुसार अपने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अछल्दा रोड बिधूना के खाता संख्या 00000002097864838 की स्वयं के हस्ताक्षरित चैक कीमत 10,00,000/–रुपये देय, सत्य फिलिंग स्टेशन उपरोक्त व आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिधूना, जनपद औरैया के खाता संख्या एमएसबी30300191738 की स्वयं के हस्ताक्षरित 5,00,000/–रुपये, इसी कम में 55,00,000/–रुपये की नगद धनराशि व 15,00,000/–रुपये की धनराशि जो कि

आवेदिका के पिता ने श्रीमती ज्योति गुप्ता के पक्ष में उपरोक्त फर्म की स्थापित भूमि को स्वयं उमेश कुमार गुप्ता के पक्ष में बैनामा किये जाने के आशय से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अछल्दा रोड बिधूना दिनांकित 10.08.2013 चैक संख्या 000421 कीमत 9,25,000/—रुपये व एक अन्य चैक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिधूना, जनपद औरैया दिनांकित 13.08.2013 चैक संख्या 224873 कीमत 5,75,000/—रुपये की उपरोक्त लोगों को प्रदान की। इस प्रकार उक्त सभी चैकों में उल्लिखित धनराशि का भुगतान इन लोगों के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। उपरोक्त फर्म का मय भूमि के स्वामित्व आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता के पक्ष में किये जाने के सम्बन्ध में एक समझौता पत्र व विक्रय पत्र दिनांकित 02.09.2013 उपरोक्त फर्म के लेटरपैड पर आवेदिका के पिता के पक्ष में पृथक—पृथक अभिलिखित करते हुए राजीव कुमार गुप्ता व ज्योति गुप्ता ने स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रदान किया था। उपरोक्त फर्म के संचालन का दायित्व आवेदिका के पिता उमेश कुमार गुप्ता के अधीन रहते हुए उपरोक्त फर्म के संचालन हेतु धन की आवश्यकतावश आवेदिका द्वारा पिता उमेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन संचालक सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, जनपद औरैया द्वारा अशोक कुमार गुप्ता की मांग के अनुसार समय—समय पर आवेदिका द्वारा 12,04,940/—रुपये धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। इस सम्बन्ध में इन ताथ्यिक तथ्यों का उल्लेख फर्म से सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट व आई0टी0आर0 वर्ष 2020—2021 में उल्लिखित है, जिससे सम्बन्धित प्रपत्र फर्म उपरोक्त पर उपलब्ध है। आवेदिका की उपरोक्त धनराशि की अदायगी के सापेक्ष में उमेश कुमार गुप्ता ने फर्म उपरोक्त की सुविधानुसार आवेदिका का 1,25,000/—रुपये अदा कर दिया गया। शेष बकाया धनराशि 10,79,940/—रुपये के सापेक्ष में उमेश कुमार गुप्ता तत्कालीन संचालक, फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, जनपद औरैया ने फर्म/स्वयं की सुविधा अनुसार आवेदिका को तीन किता चैक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ऐरवाकटरा, जनपद औरैया की नम्बर क्रमशः 040237, 040239 व 040240 धनराशि क्रमशः 3,00,000/—रु0, 4,00,000/—रु0 व 3,79,940/—रुपये दिनांकित 31.01.2022 फर्म उपरोक्त के खाता संख्या 2269700014 की दिन प्रतिदिन के संचालन के दायित्वों के फलस्वरुप अपने हस्ताक्षर से देयता स्वीकार करते हुए आवेदिका को प्रदान की गयी। जिसे आवेदिका ने अपने सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बिधूना, जनपद औरैया में अपने खाता संख्या 3317911720 में दिनांक 21.03.2022 को चैक में उल्लिखित धनराशि को प्राप्त करने के आशय से जमा की, तो आवेदिका को उसकी उपरोक्त बैंक से प्राप्त ज्ञापन में अंकित टिप्पणी "Payment Stopped by Drawer" दिनांकित 24.03.2022 को उक्त चैक बिना भुगतान के अनादृत हो गये। आवेदिका द्वारा इस सम्बन्ध में वैधानिक नोटिस परिवाद में अंकित पतों पर दिनांक 04.04.2022 को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये। विपक्षीगण उपरोक्त अशोक कुमार गुप्ता व श्रीमती साधना गुप्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये। नोटिस आवेदिका के अधिवक्ता को डाकिया द्वारा लिफाफा पर अंकित टिप्पणी दिनांकित 07.04.2022 "Add mooved" का कारण दर्शाते हुए वापस प्राप्त कराये गये तथा उमेश कुमार गुप्ता व फर्म उपरोक्त सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा जनपद औरैया को प्रेषित किये गये। नोटिस दिनांक 05.04.2022 को प्राप्त हुए। आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 4 अर्थात् फर्म उपरोक्त जिसके मालिक/स्वामी विपक्षी संख्या 1 अशोक कुमार गुप्ता को पंजीकृत

डाक से प्रेषित किया गया। नोटिस दिनांक 05.04.2022 को प्राप्त हुआ। जिसके फलस्वरुप ही विपक्षी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा अपने अधिवक्ता मयंक बाजपेयी के माध्यम से आवेदिका के अधिवक्ता को नोटिस का प्रतिउत्तर ताथ्यिक तथ्यों के विपरीत भ्रामक, असत्य व मनगढंत कथनों के साथ प्रेषित किया है। संयुक्तः दायित्वों के अधीन विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा देयता स्वीकार करते हुए आवेदिका को प्रदत्त उपरोक्त चैकों में उल्लिखित धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अतः विपक्षीगण उपरोक्त को धारा 138 सपठित धारा 141 एन0आई0 एक्ट0 के अन्तर्गत तलब कर दण्डित किये जाने की कृपा करें।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में समझौता, विकृय पत्र सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, औरैया की छायाप्रति, मुख्तारनामा की छायाप्रति, मूल चैक तीन अदद, तीन किता रिटर्न मैमो बैंक आख्या, नोटिस, रजिस्ट्री रसीदें व आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथन के समर्थन में परिवादिनी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया, जिसमें परिवाद कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण अशोक कुमार गुप्ता, उमेश कुमार गुप्ता, श्रीमती साधना गुप्ता व फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, औरैया द्वारा श्रीमती साधना गुप्ता, संचालिका फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा द्वारा प्रोपराइटर अशोक कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा 138 सपठित 141 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षीगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 138 सपठित 141 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अतएव विपक्षीगण अशोक कुमार गुप्ता, उमेश कुमार गुप्ता, श्रीमती साधना गुप्ता व फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा, जनपद औरैया द्वारा श्रीमती साधना गुप्ता, संचालिका फर्म सत्य फिलिंग स्टेशन ऐरवाकटरा जनपद औरैया द्वारा प्रोपराइटर अशोक कुमार गुप्ता उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 138 सपठित 141 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 05.07.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738